तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10/12/024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में स्वीकार्य है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेड़ा स्टेशन के खसरा नं. 1232/1 में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि के खसरा नंबर 1232 व 1401/1294 में से नवीन रेकॉर्डेड़ रास्ता चाहा है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता में तकरीबन 1044 वर्गमीटर राजकीय सिवायचक भूमि प्रभावित होगी।	
	राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 के नियम 69 के स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार को अत्यांतिक आवश्यकता होने पर ही रिकॉर्डेड़ रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिया जा सकेगा।	
	चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि के खसरा नंबर 1232 व 1401/1294 में से नवीन रिकॉर्डेड़ रास्ता चाहा है। परन्तु राजकीय सिवायचक भूमियों में से किसी खातेदार को अपने जोत/खेत तक पहुंचने के लिये आवागमन इत्यादि के प्रयोजन से नही रोका जाता है। तहसीलदार बाली की रिपोर्ट पत्रांक :- राजस्व/2024/2194 दिनांक 17-10-2024 के बिन्दु संख्या 02 से भी सिद्ध होती है कि प्रार्थी खातेदार अपनी जोत में आने जाने हेतु इसी खसरा नंबर 1232 व 1401/1294 की सिवायचक भूमि का निर्विवाद उपयोग करता आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी खातेदार को राजकीय सिवाय चक भूमि में से रिकॉर्डेड़ रास्ता उपलब्ध करवाने की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नही होती है। साथ ही प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किये जाने पर खसरा नंबर 1232 व 1401/1294	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

P.T.O.

(सिवायचक भूमि) का रकबा भी कम होगा। अत: राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरी-बेडा स्टेशन के खसरा नं. 1232 व 1401/1294 से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251 ए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली